न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष
श्रीमती मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 216–दो/1989 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–06–1989 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन – प्रकरण क्रमांक 17/1987–88 अपील

धापूवाई पुत्री मांग्या चमार
निवासी गुजरदा तहसील मंदसौर
मध्य प्रदेश ––– आवेदिका

विरूद्ध

बंशीलाल पुत्र कचरू चमार
निवासी गुजरदा तहसील मंदसौर ---अनावेदक

(श्री एस.के.बाजपेयी अभिभाषक – आवेदक)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

अ ा दे श

(आज दिनांक 01 –10– 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/1987–88 अपील में पारित आदेश दिनांक 07–06–1989 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मांग्या पुत्र डूँगा चमार निवासी ग्राम गुजरदा के नाम ग्राम गुजरदा में खाता क्रमांक 190 पर कुल किता 4 कुल रकबा 2.988 हैक्टर भूमि (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) थी, जिसकी दि.18.11.1982 को मृत्यु होने पर महिला किशनीवाई एंव महिला धापूवाई ने मृतक

की पुत्रियां होने से नायव तहसीलदार मंदसौर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 के अंतर्गत आवेदन देकर नामान्तरण की मांग करने पर पटवारी ने नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 24 पर प्रविष्टि दर्ज की एंव इस्तहार का प्रकाशन किया। महिला सीतावाई एंव बंशीलाल ने भी नामान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा बताया कि बंशीलाल मृतक मांग्या का गोदनशीन पुत्र है। नायव तहसीलदार मंदसौर ने प्रकरण क्रमांक 36 अ 6/84-85 पंजीबद्व किया एंव हितबद्व पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनांक 4-4-1987 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर मृतक मांग्या की पुत्री धापूवाई एंव बंशीलाल को दत्तक पुत्र मानकर समान भाग पर नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व महिला धापूवाई ने अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 41/1986-87 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-10-1987 से बंशीलाल को दत्तक पुत्र न होने के आधार पर अपील स्वीकार करते हुये वादग्रस्त भूमि पर मात्र महिला धापूवाई का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के यहां अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 17/1987-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 07-06-1989 से अपील स्वीकार की गई एंव मृतक मांग्या की पुत्री धापूवाई एंव बंशीलाल को दत्तक पुत्र मानकर वादग्रस्त भूमि पर सम्मिलित रूप से भूमिस्वामी के रूप में अंकित करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदिका के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का

अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद तहै कि मृतक मांग्या खातेदार की आवेदिका पुत्री है दूसरी पुत्री महिला किशनीवाई बेओलाद फोत हो जाने उसके स्वत्व पर विचार नहीं हुआ है अर्थात मृतक मांग्या के वारिसान में आवेदिका मात्र जीवित पुत्री है। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि क्या बंशीलाल पुत्र कचरू चमार अनावेदक मृतक मांग्या का दत्तक पुत्र है ? हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 में दत्तक ग्रहण के सम्बन्ध में इस प्रकार के प्रावधान हैं :-

धारा-11. विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्ते - हर दत्तक में निम्नलिखित शर्ते पूरी की जाना होंगी -

(1) यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता का जिनके व्दारा दत्तक लिया जाये, कोई हिन्दू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र (चाहे धर्मज रक्त नातेदारों से हो या दत्तक से) दत्तक के समय जीवित न हो।

(2) यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता की , जिनके व्दारा दत्तक लिया जाय , कोई हिन्दू पुत्री या पुत्र की पुत्री (चाहे धर्मज रक्त नातेदारों से हो या दत्तक से) दत्तक के समय जीवित न हो।

विचाराधीन प्रकरण में मृतक मांग्या के वारिसान में उसकी पुत्री आवेदिका धापूवाई जीवित है एंव हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 (1) एंव (2) में दी गई व्यवस्था अनुसार बंशीलाल का मृतक मांग्या के यहां दत्तक ग्रहण होने के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय तहसीलदार ने किसी प्रकार की वॉछित जांच नहीं की एंव उसे दत्तक पुत्र मानकर नामान्तरण का आदेश दिया है। अपर आयुक्त न्यायालय ने भी विचाराधीन आदेश करने के पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है। अपर आयुक्त,

उज्जैन संभाग, उज्जैन ने प्रकरण कमांक 17/1987-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 07-06-1989 से बंशीलाल एंव महिला धापूवाई का नाम सिविल वाद के निराकरण तक दोनों का नाम दर्ज करने का आदेश दिया है जो त्रृटिपूर्ण है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 17/1987-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 07-06-1989 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर व्दारा प्रकरण कमांक 41/1986-87 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-10-1987 यथावत् रखा जाता है। यदि दीवानी न्यायालय से किसी प्रकार का आदेश दिया जाता है तो तद्नुसार कार्यवाही करने के लिये अधीनस्थ न्यायालय स्वतंत्र है।

(श्रीमती मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर